उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या –108/2023

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लि० बनाम् प्रकाश कुमार वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
24/12/24		

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा Under Section–14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत् ऋणकर्त्ता 1. Prakash Kumar, R/o Geda, Orawn Tola, Near Talab, P.O & P.S-Patratu, Dist-Ramgarh 2. Kumel Orawn, R/o Geda, Orawn Tola, Near Talab, P.O & P.S-Patratu, Dist-Ramgarh के विरूद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या–7206 दिनांक–24.06.2004 से प्राप्त भूमि मौजा–गेगदा थाना नं०–28 थाना–पतरातू खाता नं०–06 प्लॉट नं०–21 रकवा–20 डीसमील चौहद्दी उ०–नीज, द०–मंगल पाहन, पु०–रामचरण महतो, प०–नीज तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विषयगत वाद की कार्यवाही दिनांक–03.11.2023 को प्रारंभ की गई एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। विषयगत वाद में अपीलार्थी लंबी आवधि से न्यायालय में उपस्थित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी को वाद में अभिरूचि नहीं है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश IX, नियम 8 के तहत वाद की कार्यवाही को खारिज किया जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 24/12/24
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 24/12/24
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2025.01.08 17:42:51 +05:30
Location: 192.168.122.197

Scanned with OKEN Scanner